

पहली बारिश में टपकने लगी स्कूल की छत

► कांग्रेस ने उठाई उच्च स्तरीय तकनीकी जांच की मांग

► जिला शिक्षा अधिकारी का कहना अभी नहीं हुआ हैडओवर

नवभारत न्यूज सीहोर/ रेहटी 7 जुलाई. करोड़ों रुपये की लागत से तैयार रैहटी स्थित सीएम राइज (वर्तमान सांदीपनी) स्कूल का नवनिर्मित भवन पहली ही बारिश में सवालों के घेरे में आ गया है. भवन की छत से कमरों में पानी टपकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. मामले में कांग्रेस ने उच्च स्तरीय तकनीकी जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि भवन का हैंडओवर अभी शिक्षा विभाग को नहीं मिला है, इसलिए इसकी तकनीकी जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी की है. जबकि वास्तविकता यह है कि इस नव निर्मित भवन में 16 जून से कक्षाएं संचालित हो रही हैं.

प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं बुधनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विक्रम मस्ताल शर्मा (हनुमान) ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि जिस भवन में बच्चों का भविष्य संकरना है, उसी भवन की छत पहली बारिश में टपकने लगे तो यह निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्नचिह्न है. उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च कर

9 पंचायतों पर 250 रूपए का जुर्माना

राजगढ़ 07 जुलाई, का. जिला कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान 09 ग्राम पंचायतों पर प्रति पंचायत 250 रुपये के हिसाब से अर्थदंड अधिरोपित करने के निर्देश दिए. जिनमें ग्राम पंचायत कोलूखेडा जनपद पंचायत राजगढ़, ग्राम पंचायत धनवासकलां जनपद पंचायत राजगढ़, ग्राम पंचायत बरखेडाखुरम जनपद पंचायत सारंगपुर, ग्राम पंचायत टुडियाहेडी जनपद पंचायत सारंगपुर, ग्राम पंचायत खिलचीपुर, ग्राम पंचायत हालाहेडी जनपद खिलचीपुर, ग्राम पंचायत हरिपुरानजदीक जनपद खिलचीपुर पर शांति अधिरोपित की गई.



महिलाओं ने पकड़ी अवैध शराब

नवभारत न्यूज गौरझामर 7 जुलाई. महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम झमरा में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं ने खुलकर विरोध जताया. गांव में लंबे समय से अवैध शराब बेचे जाने की शिकायतों के बीच जब एक घर में शराब रखे

फैसला दुकर्म पीड़िता के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा सवाल

कानून ने डाक्टरों को अधिकार दिया तो फिर अदालत के चक्कर क्यों?

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने दुष्कर्म पीड़िता के गर्भसमापन की अनुमति देने के साथ स्वास्थ्य तंत्र को ऐसा आईना दिखाया है, जिसका अर्र भविष्य के सैकड़ों मामलों पर पड़ सकता है। कोर्ट ने साफ कहा कि जब एमटीपी एक्ट 1971, 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था में निर्धारित परिस्थितियों में चिकित्सकों को निर्णय लेने का अधिकार देता है, तब हर मामले में जिला न्यायालय या हाईकोर्ट की अनुमति लेने की परिपाटी आखिर क्यों अपनाई जा रही है। अदालत ने इसे संवेदनशील मामलों में अनावश्यक देरी का कारण माना।

दरअसल, मंडला जिले की 17

वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता 10 सप्ताह की गर्भवती थी। मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में गर्भसमापन को संभव बताया, हालांकि पीड़िता की कम उम्र और स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए प्रक्रिया मेडिकल कालेज में विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में कराने की अनुशंसा की। पीड़िता और उसकी मां की लिखित सहमति के बाद हाईकोर्ट ने गर्भ समापन की अनुमति दे दी। न्यायालय ने मामले में निर्देशित किया कि पूरी प्रक्रिया विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम की मौजूदगी में हो, पीड़िता को समुचित चिकित्सा और पोस्ट-आपरेटिव देखभाल मिले तथा भ्रूण का डीएनए, नमूना सुरक्षित रखकर अपराधिक प्रकरण में साक्ष्य के रूप में संरक्षित किया जाए।

हर प्रकरण का फैसला उसके तथ्यों पर, सिर्फ आपराधिक इतिहास पर नहीं : हाईकोर्ट जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया कि किसी आरोपी के विरुद्ध अनेक आपराधिक प्रकरण लंबित होना मात्र जमानत से इनकार का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने बेलखेड़ा थाना के अपराध में आरोपित राजा सिंह को नियमित जमानत देते हुए कहा कि मामले के तथ्य और पीड़ित को लगी चोटों की प्रकृति भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि यदि आरोपी इसी प्रकृति का कोई दूसरा अपराध करता है तो उसकी जमानत स्वतः समाप्त हो जायेगी। आदेदक की ओर से अधिवक्ता शांतनु तिवारी ने दलील दी कि उनके मुवाकिल को झूठा फसाया गया है। अभियोजन द्वारा 14 अपराधिक मामलों का हवाला दिया गया, लेकिन उनमें कई मामलों में आरोपित पहले से जमानत पर है। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपी के अपराधिक इतिहास का उल्लेख किया, हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पीड़ित को साधारण चोटें आई हैं।

एलपीजी गैस किट जप्त

सागर. आरटीओ द्वारा बंडा, बरायठा क्षेत्र में 18 स्कूली वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से ईको वाहन क्रमांक एमपी 52 सीए 0529 जो एलपीजी गैस किट से संचालित होते हुए पाई गई. उक्त वाहन में फायर सिस्टम नहीं पाया गया तथा क्षमता से अधिक स्कूली बच्चे बैठे पाये जाने पर वाहन को जप्त कर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया. साथ ही कार्यवाही में अधिकांश स्कूल बसें संचालित होते हुए पाई गई, चैकिंग का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है. उक्त कार्यवाही शहरी क्षेत्र में की गई थी. चैकिंग के कारण कुछ वाहन चालकों द्वारा रास्ता बदलकर जाने का प्रयास किया किन्तु जांच दल द्वारा उन्हें जांच दायरे में लिया गया तथा कमी पाये जाने पर वाहन जप्त की गई है. अधिभावकों से अपील की जाती है कि वह बच्चों को ऐसे स्कूली वाहन में स्कूल न भेजे जो एलपीजी गैस किट से संचालित है.

लॉरेंस गैंग लॉरेंस गैंग पर एफबीआई का ‘ऑपरेशन हार्ड बॉल’ , 50 ठिकानों पर रेड

वॉशिंगटन, 7 जुलाई। एफबीआई अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगियों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। ‘ऑपरेशन हार्ड बॉल’ नाम से चलाए गए इस अभियान के तहत अमेरिका, कनाडा और यूरोप में 50 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान कम से कम 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार, प्रतिबंधित सामान और मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। एफबीआई के नेतृत्व में 7 जुलाई को शुरू हुए इस अभियान में विभिन्न देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने भी सहयोग

प्रेमी संग पत्नी ने की पति की हत्या हार्पिक इंजेक्शन देने का आरोप

निजामाबाद (तेलंगाना), 7 जुलाई। पति-पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला तेलंगाना के निजामाबाद जिले से सामने आया है। यहां एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची। आरोप है कि पहले पति को मकान की छत से धक्का दिया गया। जब वह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जीवित मिला, तो उसकी नसों में हार्पिक का इंजेक्शन लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना का खुलासा परिजनों की शिकायत और पुलिस जांच के बाद हुआ। पुलिस ने मामले में पत्नी और



उसके कथित प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान प्रशांत के रूप में हुई है, जो निजामाबाद के उपनगरीय क्षेत्र का निवासी था। उसकी पत्नी संध्या के किसी अन्य व्यक्ति के साथ कथित प्रेम

संबंध होने की बात सामने आई थी। इसे लेकर पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि इसी विवाद से छुटकारा पाने के लिए संध्या ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई।

बलूचिस्तान में पुलिस चौकी पर हमला, 9 जवानों की मौत, 5 लापता

इस्लामाबाद, 7 जुलाई। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों ने एक पुलिस चौकी पर बड़ा हमला कर दिया, जिसमें कम से कम नौ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य अब भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और लापता पुलिसकर्मियों की तलाश के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले की राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कड़ी निंदा की है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, हमला सोमवार देर रात बलूचिस्तान के जियारत जिले के



मांगी डैम क्षेत्र स्थित पुलिस चौकी पर हुआ। हमलावरों ने अचानक चौकी को गिराना बनाया। पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की, लेकिन हमलावर चौकी में घुसने में सफल रहे। मुठभेड़ में नौ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई,

जबकि पांच अन्य का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। जियारत के डिटी कमिश्नर अब्दुल कदूस अचकजई ने बताया कि लापता पुलिसकर्मियों की तलाश के लिए अभियान जारी है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इलाके में तैनात किया गया है।



सार्थक एप की अनिवार्यता समाप्त करने सौंपा ज्ञापन सीहोर. सार्थक एप के माध्यम से अनिवार्य उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था समाप्त करने की मांग को लेकर कृषि विस्तार अधिकारी संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया. संघ ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है. अधिकारियों को प्रतिदिन गांव-गांव जाकर किसानों को योजनाओं की जानकारी देने, तकनीकी मार्गदर्शन करने तथा विभिन्न विभागीय कार्यों का संपादन करना पड़ता है. वर्तमान में सार्थक एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता के कारण अधिकारियों, महिला कृषि विस्तार अधिकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या, समय पर उपस्थिति दर्ज करने में होने वाली परेशानी तथा कार्यों के दौरान बाधाएं कार्य क्षमता को प्रभावित कर रही है. संघ ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार अधिकारियों की समस्याओं पर सकारात्मक विचार करते हुए शीघ्र उचित निर्णय लेगी.

कुरवाई नगर परिषद को मिली नई सीएमओ

कुर्वाई. नगर परिषद कुरवाई में करीब एक पखवाड़े से रित्त चल रहे मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ के पद पर संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल ने सुश्री गीता माझी की पदस्थापना की है. उनके बुधवार को कुरवाई पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है. सीएमओ का पद रिक्त होने के दौरान नगर परिषद का काम प्रभारी के रूप में इंजीनियर गोवर्ध कुमार संभाल रहे थे. लंबे समय बाद पूर्णकालिक सीएमओ की नियुक्ति होने से नगर परिषद की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और रुके हुए विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

मजदूरों के शोषण को लेकर होगा आंदोलन

सारनी। कांग्रेस पार्टी ने नपा सारनी मे मजदूरों के शोषण को उग्र आंदोलन करेगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बटेशर भारती ने कहा कि नपा सारनी मे लंबे समय से मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आउट सोर्सिंग के माध्यम से नपा मे काम करने वाले मजदूरों को बेहद कम वेतन दिया जा रहा है। इतना ही नहीं सार्वजनिक प्थाऊ में लगे मजदूरों की शासन द्वारा नियंत्रित वेतन नहीं दिया है। इसके अलावा नपा के ग्रांडन एवं अन्य स्थानों पर काम करने वाले मजदूरों को कलेक्टर रेट पर मजदूरी नहीं दी जा रही है। श्री भारती ने कहा कि नपा से कार्य लेने वाले ठेकेदार नपा के विभागों में आउट सोर्सिंग के जरिये काम पर रखे मजदूरों को छह से सात हजार रुपये दिये जा रहे है। इन सभी मामलो को लेकर कांग्रेस पार्टी बडा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है।

बिना कारण बंद कर दी वृद्धावस्था पेंशन

राजगढ़. जनसुनवाई में ग्राम छायन निवासी घीसा ने बताया कि आवेदक और आवेदक की पत्नि को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूर्व में वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिला रहा था. परन्तु किसी कारणवश अब मिलना बंद हो गई है। कलेक्टर द्वारा सामाजिक न्याय विभाग को आवश्‍यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया.

पॉलिटेक्निक में प्रवेश हेतु आज काउंसलिंग

राजमढ़ . शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजगढ़ में तकनीकी शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल द्वारा संचालित इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बांच में कुछ शेष बची सीटों में अहरकारा परीक्षा 10वीं के आधार पर प्रवेश के लिए संस्था स्तर की काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु पूजीयन प्रारंभ हो चुके है . रजिस्ट्रेशन उपरान्त प्रवेश हेतु 08 जुलाई को छात्र-छात्राएं संस्था में स्वयं उपस्थित होकर समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित जैसे 10वीं की अंकसूची, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आया प्रमाण पत्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र सहित प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं.

नियमित व्याख्याता की नियुक्ति से गेस्ट फैक्टली की सेवा खत्म नहीं होगी

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया कि किसी कालेज में नियमित व्याख्याता की नियुक्ति हो जाने मात्र से गेस्ट फैक्टली की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। यदि अन्य कालेजों में रिवत पद उपलब्ध हैं तो संबंधित गेस्ट फैक्टली को वहां समायोजन का अवसर देना होगा। यदि वह वैकल्पिक पदस्थापना स्वीकार नहीं करती है, तभी शासन सेवा समाप्ति की कार्रवाई कर सकता है। दरअसल, रीवा निवासी सुमन वर्मा की याचिका में बताया गया कि जिस कालेज में वह गेस्ट फैक्टली के रूप में कार्यरत थीं, वहां नियमित व्याख्याता भावना डेहरिया की नियुक्ति हो गई है, जिससे उनकी सेवा समाप्त होने की आशंका पैदा हो गई। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि प्रदेश के अनेक शासकीय महाविद्यालयों में अब भी रिवत पद हैं। ऐसे में सीधे सेवा समाप्त करना न्यायसंगत नहीं होगा। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के पूर्व न्याय द्यूटदा का भी हवाला दिया गया। सभी पक्षों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने शासन को वैकल्पिक पदस्थापना का अवसर देने का निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की।